मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2301
18.12.2023 को उत्तर के लिए

जीआरएपी की बाध्यताओं से छूट

2301. श्री संजय भाटिया :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पानीपत के उद्यमियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) और पीएनजी (पाइप्ड प्राकृतिक गैस) की बाध्यताओं से छूट प्रदान करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का पानीपत में वस्त्र और रंगाई के कारोबार में दस हजार करोड़ रु. की संभावित वृद्धि को देखते हुए पानीपत को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हटाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का उक्त शहर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से हटाकर बॉयलर में कोयले के उपयोग की अनुमति देने का विचार है ताकि उक्त उद्यमी अन्य राज्यों के उद्यमियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के माध्यम से, सरकार ने कई क्षेत्र विशिष्ट कदम उठाएं हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों को पानीपत सहित एनसीआर जिलों में चल रहे उद्योगों को, सिवाय उन तकनीकी, प्रौद्योगिकीय और/या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं वाले विशिष्ट उद्योगों को छोड़कर जिनकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, शेष सभी उद्योगों को स्वीकृत ईंधनों, जिनमें पीएनजी, स्वीकृत ईंधनों में से एक है, में परिवर्तित करने के लिए निर्देश जारी करना शामिल है।

इसके अलावा, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) में वायु प्रदूषण के स्तरों के आधार पर आकस्मिक निवारक/प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों की अपेक्षा की गई है, जिन्हें दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के महीनों के दौरान प्रतिकूल जलवायु और मौसम संबंधी स्थितियों के कारण प्रतिकूल वायु गुणवत्ता परिदृश्य से निपटने हेतु एनसीआर के राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अभिज्ञात एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित

किया जाना अपेक्षित है। वायु गुणवत्ता में और अधिक गिरावट को रोकने में मदद करने के लिए जीआरएपी के तहत सर्दियों के महीनों के दौरान वायु गुणवत्ता के आधार पर सख्त नियम और प्रतिबंध लगाए जाते हैं। एनसीआर का हिस्सा होने के नाते, जीआरएपी की कार्य-योजना एनसीआर के अन्य सभी क्षेत्रों/शहरों/कस्बों आदि की तरह ही पानीपत पर भी लागू होती है।

वस्त्र उद्योग सहित किसी भी औद्योगिक इकाई को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी से वैध सहमति प्राप्त करके स्थापित और संचालित किया जाएगा, और इनके लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित बहिस्राव/उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना भी आवश्यक है।

*****